न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 39/2020

वादी :-
लादूराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम लाम्बा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-
1. जोगाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम लाम्बा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादी - श्री डी डी रामावत अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या- 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या -2 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 20/05/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 3.8347 हैक्टेयर जो खाता संख्या 1036 पर दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी की कब्जासुदा भूमि है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। इसी माफिक वादी वादग्रस्त भूमि पर बतौर सहखातेदार काबिज रहकर लगान की अदायगी करते आये है। वादग्रस्त भूमि में वादी से बेहतर हक प्रतिवादी संख्या 1 का नही है तथा वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत् बंटवाड़ा किया जाना बाकी है। मौके पर वादग्रस्त भूमि में वादी अपने बंट एवं कब्जे की भूमि में सुधार कार्य करवाने हेतु ऋण लेना चाहता है तथा अपनी भूमि पर सुधार कार्य करवाना चाहता है इस हेतु वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से उसके हिस्से की भूमि उसे अलग बंटवाड़े में दिया जाकर उसके नाम दर्ज करवाने तथा बंटवाड़ा बाद ही वादग्रस्त भूमि में निर्माण करने हेतु कहा इस पर उसने दिनांक 20.05.2020 को एलानिया इन्कार कर दिया। इस हेतु वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ समझाईश की फिर भी नहीं माना। इस पर वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि की राजस्व रेकर्ड की नकले ली जाकर उसकी ओर से यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश है। वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम त्रुटिवश लादूराम के स्थान पर लादाराम दर्ज कर लिया गया। जबकि वादी की अन्य खातेदारी भूमि तथा आधारकार्ड, निर्वाचन आयोग पहचान कार्ड व भामाशाह कार्ड इत्यादि सभी दस्तावेजों में वादी का नाम लादूराम दर्ज है जो दूरुस्त है। वादी इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी अपना नाम दुरुस्त करवाकर वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में स्वयं का 1ह2 हिस्से का सहखातेदार घोषित करवाने का विधिक रूप से अधिकारी है। वादी द्वारा समझाईश के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 नहीं मान रहा है तथा

उसने वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर काश्त नहीं करने हेतु भी वादी को दिनांक 20.05.2020 को धमकिया दी तथा वादी को बेदखल करने पर आमादा हुए। जिस पर वादकारण वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पैदा हुआ।

अन्त में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भावी जाटाबास की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 3.8347 हैक्टेयर के सम्बंध में वादी का नाम दूरुस्त कर उसे इस भूमि का 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी को उसके 1/2 हिस्से की भूमि अलग माप एवं सीमांकन के आधार पर बंटवाड़ा में प्रदान की जावे तथा वादी की बंटसुदा कब्जे की भूमि में किसी भी रिती से दखल नही करने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा दिनांक 28.9.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम पिचियाक की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 106 रकबा 3.8347 हेक्टयर में दर्ज वादी का नाम लादाराम के स्थान पर लादूराम की दुरूस्ती की जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 की राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	जोगाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई सा. लाम्बा खातेदार	106	1.9173
	कुल योग	1	1.9173
2	लादूराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई सा. लाम्बा खातेदार	106/1	1.9174
	कुल योग	1	1.9174

उक्त सारणी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर वादीगण व प्रतिवादी द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.03.2025 के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी

में वादी व प्रतिवादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.03.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**
लादूराम जोगाराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- 39/2020

निर्णय **दिनांक :-** 29/3/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री डी डी रामावत अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या- 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या -2 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.03.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा